NBSA
NEWS BROADCASTING STANDARDS AUTHORITY

अपराध, दंगे, अफवाह और ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्टिंग में सांप्रदायिक रंग से बचने के दिशा-निर्देश

ये दिशा-निर्देश पहले जारी किये गये निर्देशों के अतिरिक्त हैं। इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति के धर्मनिरपेक्ष लोकाचारों के हो रहे क्षरण को रोकना है।

1. अपराध घटित होने के बारे में प्रसारण के दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसे किसी तरह का सांप्रदायिक रंग दिये जाने का कोई तुक नहीं है और इसलिए अपराध को आरोपी व्यक्ति के समुदाय से किसी भी रूप में जोड़ना हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकता है।

2. यह याद रखा जाना चाहिए कि ऐसे समाचारों की रिर्पोटिंग में अथवा कार्यक्रमों में साम्प्रदायिक रंग आने से सम्बन्धित समुदाय को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। अगर मुक़दमे की सुनवाई के बाद आरोपी को बरी कर भी दिया गया हो, तब भी उस नुक़सान की भरपाई नहीं हो पाती, जो हमारे बहुलतावादी समाज को पहुँचती है.

3. ऐसे सभी समाचारों की रिपोर्टिंग/कार्यक्रमों में मुख्य रूप से ध्यान घटना के केवल सही तथ्यों पर रखा जाना चाहिए। इस संबंध में बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए, खास कर तब जब आरोपी किसी अल्पसंख्यक समुदाय का हो।

4. इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि आरोपियों के नाम, गिरफ्तार व्यक्तियों के फोटोग्राफ और विज़ुअल्स तथा उनके परिवारों के ब्यौरों का खुलासा नहीं हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उस रिपोर्टिंग से एक नागरिक के तौर पर उनकी निजता के अधिकार का हनन न हो या वह उन्हें किसी तरह के नुकसान के जोखिम में न डाले।

5. खास तौर पर ऐसी घटनाओं के शिकार हुए लोगों की रिर्पोटिंग के दौरान इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि उनकी जाति, धर्म या किसी अन्य अभिलक्षणों के आधार पर उनकी पहचान का ब्यौरा नहीं आ पाये।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांकः 13 दिसम्बर 2012